

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इलाहाबाद

23, एलनगंज इलाहाबाद-211002

विज्ञापन संख्या

1/2013 प्रशिक्षित स्नातक पदों हेतु

2/2013 प्रवक्ता पदों हेतु

उत्तर प्रदेश के अशासकीय इण्टर कालेजों/हाईस्कूलों में प्रवक्ता एवं प्रशिक्षित स्नातक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित प्रारूप पर प्रशिक्षित स्नातक (परिशिष्ट 'क') तथा प्रवक्ता (परिशिष्ट 'ख') पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पूर्ण आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों के साथ सचिव, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, 23 एलनगंज इलाहाबाद-211002 को दिनांक 30 जनवरी 2014 तक या इसके पूर्व पंजीकृत डाक/स्पीडपोस्ट द्वारा अवश्य पहुँच जाय। डाक द्वारा प्रार्थना पत्र विलम्ब से पहुँचने का दायित्व चयन बोर्ड का नहीं होगा।

1. रिक्तियों की संख्या : प्रशिक्षित स्नातक के लिए रिक्त पदों का वर्गवार तथा विषयवार विवरण परिशिष्ट 'क' में दिया गया है। प्रवक्ता के रिक्त पदों का वर्गवार तथा विषयवार विवरण परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है। रिक्तियों की संख्या 30.06.2014 तक रिक्त होने वाले रिक्त पदों के प्रति आवेदन पत्रों की अन्तिम तिथि तक प्राप्त अध्याचनों के आधार पर घट बढ़ सकती है।

2. वेतनमान : उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रशिक्षित स्नातक एवं प्रवक्ता वेतनमान, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तें देय होंगे।

3. आयु : आयु 1 जुलाई 2014 को 21 वर्ष से कम न हो।

4. शैक्षिक योग्यता : (प्रशिक्षित स्नातक के लिए)

1. उर्दू, वाणिज्य, कृषि विषय के प्रशिक्षित स्नातक पद हेतु सम्बन्धित विषय में स्नातक उपाधि के साथ प्रशिक्षण उपाधि। 2. संस्कृत विषय हेतु प्रशिक्षित स्नातक संस्कृत अथवा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा प्रदत्त शास्त्री या आचार्य के साथ प्रशिक्षण उपाधि। 3. हिन्दी विषय हेतु हिन्दी एवं संस्कृत विषय के साथ स्नातक एवं प्रशिक्षण उपाधि अथवा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा प्रदत्त शास्त्री परीक्षा के साथ प्रशिक्षण उपाधि। 4. अंग्रेजी विषय हेतु स्नातक अंग्रेजी साहित्य अथवा अंग्रेजी भाषा सहित प्रशिक्षण उपाधि। 5. गणित विषय हेतु बी0ए0 अथवा बी0एस0सी0 गणित सहित प्रशिक्षण उपाधि। 6. विज्ञान विषय हेतु भौतिक विज्ञान तथा रासायन विज्ञान के साथ बी0एस0सी0 सहित प्रशिक्षण उपाधि। 7. जीव विज्ञान विषय हेतु जन्तु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान के साथ बी0एस0सी0 सहित प्रशिक्षण उपाधि। 8. सामाजिक विषय हेतु राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास विषयों में से किन्ही दो विषयों में स्नातक के साथ प्रशिक्षण उपाधि। 9. कला विषय हेतु इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन अर्हता तथा समय समय पर परिवर्धित राजाज्ञा की योग्यता मान्य होंगी इसके अतिरिक्त सभी पुरुष अभ्यर्थियों को इण्टर प्राविधिक कला उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थी जिन्होंने वर्ग-02 (महिला) में आवेदन किया है उन्हें प्राविधिक कला से छूट अनुमन्य होगी किन्तु वर्ग-01 में आवेदन करने पर उन्हें इण्टर प्राविधिक कला उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। महिला अभ्यर्थी वर्ग के कालम में यदि वर्ग-01 व 02 दोनों में टिक करेंगी तो उनका आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। यदि कोई महिला किसी वर्ग में टिक नहीं करती है तो वह वर्ग-01 में ही मान्य किया जायेगा। आवेदन पत्र में वर्ग के कालम में पूरित फार्म के अनुसार ही अभ्यर्थन मान्य किया जायेगा। 10. संगीत, गृह विज्ञान, व्यायाम (शारीरिक शिक्षा) विषयों हेतु इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 द्वारा निर्धारित अर्हता तथा समय समय पर प्रख्यापित हुए संशोधनों एवं राजाज्ञाओं द्वारा संशोधित तथा परिवर्धित योग्यतायें भी मान्य होंगी।

नोट : प्रशिक्षण का तात्पर्य बी0एड0, एल0टी0, वी0टी0 अथवा शिक्षा शास्त्री उपाधि से है।

5. शैक्षिक योग्यता : (प्रवक्ता पद के लिए)

अभ्यर्थियों को विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय/संस्थान से सम्बन्धित विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष उपाधि धारक होना आवश्यक है।

1. हिन्दी प्रवक्ता पद हेतु हिन्दी में एम0ए0 तथा संस्कृत के साथ बी0ए0 अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कालेज वाराणसी अब सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय वाराणसी। 2. हिन्दी में एम0ए0 के साथ-साथ संस्कृत विषय से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण योग्यता धारी को इण्टरमीडिएट कक्षाओं में प्रवक्ता पद पर सीधे नियुक्त अथवा प्रवक्ता पद पर पदोन्नति हेतु बी0ए0 में संस्कृत विषय की अनिवार्यता से मुक्ति रहेगी। 3. भौतिक विज्ञान के लिए किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषय में एम0एस0सी0 अथवा उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ सम्बन्धित विषय सहित बी0एस0सी0। 4. रसायन विज्ञान के लिए रसायन विज्ञान में एम0एस0सी0 अथवा रसायन विज्ञान में तृतीय वर्षीय पाठ्यक्रम के साथ (आनर्स) अथवा यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय/डिग्री कालेज से स्नातकोत्तर(बायो कमेस्ट्री) अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कालेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बी0एस0सी0। 5. जीव विज्ञान के लिए वनस्पति विज्ञान अथवा जन्तु

विज्ञान में एम0एस0सी0 अथवा किसी विश्वविद्यालय से उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित वनस्पति विज्ञान/जन्तु विज्ञान के स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ जन्तु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान सहित बी0एस0सी0 अर्ह है। 6. अर्थशास्त्र प्रवक्ता के लिए एम0काम0, बी0काम0 में (अर्थशास्त्र एक विषय सहित)। 7. गृह विज्ञान के लिए गृह अर्थशास्त्र या गृह कला (होमआर्ट) में स्नातकोत्तर उपाधि, 8. कला प्रवक्ता के लिए चित्र कला अथवा रंजनकला में स्नातकोत्तर उपाधि। 9. सैन्य विज्ञान प्रवक्ता के लिए, सैन्य विज्ञान या प्रतिरक्षा अध्ययन एम0एस0सी0 या सैन्य शिक्षा में एम0ए0 या एम0एस0सी0। 10. तर्कशास्त्र प्रवक्ता के लिए दर्शनशास्त्र में एम0ए0 अथवा बी0ए0 (आनर्स) त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम दर्शनशास्त्र सहित अथवा तर्कशास्त्र में एम0ए0। 11. पाली प्रवक्ता के लिए पाली में एम0ए0 और 11. संगीत गायन या वादन के लिए संगीत की सम्बन्धित शाखा में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा समकक्ष योग्यता धारक भी अर्ह है अथवा इण्टरमीडिएट एक्ट 1921 के अधीन निर्धारित अन्य अर्हता।

अर्हता की तिथि:- शैक्षिक योग्यता पूर्ण करने की तिथि, आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि मानी जायेगी।

भर्ती प्रक्रिया : प्रवक्ता/ प्रशिक्षित स्नातक पद पर चयन लिखित परीक्षा, विशिष्ट योग्यता एवं साक्षात्कार के आधार पर, चयन बोर्ड नियमावली 13 जुलाई 1998 एवं चयन बोर्ड (प्रथम संशोधन) नियमावली 7 अगस्त 2001 में विहित प्रक्रियानुसार होगा।

परीक्षा के अंको का विभाजन इस प्रकार है:-

(क) लिखित परीक्षा के आधार पर 85 प्रतिशत अंक

(ख) साक्षात्कार के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत अंक

(ग) विशिष्ट योग्यता के आधार पर 5 प्रतिशत अंक अर्थात्

(1) पी0एच0डी0/डी0फिल की उपाधि रखने के लिए 2 प्रतिशत अंक

(2) शिक्षा निष्णात (एम0एड0) की उपाधि रखने के लिए 2 प्रतिशत अंक

(3) शिक्षा स्नातक (बी0एड0) की उपाधि रखने के लिए 1 प्रतिशत अंक (परन्तु किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसने उपखण्ड (2) के आधार पर अंक प्राप्त कर लिया है तो उपखण्ड (3) के अधीन कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा)। (4) किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य टीम के माध्यम से भाग लेने के लिए 1 प्रतिशत अंक।

प्रवक्ता/प्रशिक्षित स्नातक की परीक्षा में एक प्रश्नपत्र दो घण्टे की अवधि का होगा, जिसमें सम्बन्धित विषय के स्नातकोत्तर/प्रशिक्षित स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम से सम्बन्धित प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न वस्तुपरक (बहुविकल्पीय) होगा, जिसमें दिये गये चार उत्तरों में से एक उत्तर सही होगा। सही गोले को उत्तरपत्रक में बाल पेन से काला करना होगा।

6. परीक्षा केन्द्र :- निम्नलिखित जिलों के जिला मुख्यालयों को परीक्षा केन्द्र बनाया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा वरीयता क्रम से भरे गये किन्ही तीन विकल्पों में से यथासम्भव सुविधानुसार परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जायेगा। परन्तु अपरिहार्य कारणों से अभ्यर्थी को कोई भी परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र समय सारणी और अनुक्रमांक आदि की सूचना यथा समय पर दी जायेगी।

केन्द्र	कोड संख्या	केन्द्र	कोड संख्या
आगरा	01	मुरादाबाद	06
इलाहाबाद	02	बरेली	07
कानपुर	03	मेरठ	08
गोरखपुर	04	लखनऊ	09
झांसी	05	वाराणसी	10
		फैजाबाद	11

नोट :- यदि कोई अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा प्रेषित प्रवेश पत्र के केन्द्र से इतरकेन्द्र एवं विषय में परीक्षा देता है तो उसकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

7. आवेदन प्रक्रिया :- सफेद मोटे फुल स्केप कागज पर टंकित या मुद्रित आवेदन प्रारूप जो इस विज्ञापन में दिया गया है पर सम्यक रूप से पूरित कर समस्त प्रमाण पत्रों, अंक पत्रों, प्रमाणित प्रतियों एवं अपना पता लिखा हुआ पोस्ट कार्ड तथा आवेदन शुल्क और डाक व्यय हेतु देय बैंक ड्राफ्ट सहित केवल पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित किया जाना चाहिए।

8. आवेदन शुल्क :- सामान्य एवं पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए रूपया 430 (रु0 400 शुल्क, रु0 30 डाक व्यय), अनुसूचित जाति के लिए रु0 230 (रु0 200 शुल्क, रु0 30 डाक व्यय) अनुसूचित जनजाति के लिए रु0 130 (रु0 100 शुल्क, रु0 30 डाक व्यय) शुल्क केवल भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ बड़ौदा तथा इलाहाबाद बैंक द्वारा निर्गत रेखांकित नवीनतम बैंक ड्राफ्ट जो **सचिव, उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,** के पक्ष में तथा **इलाहाबाद** में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य है। शुल्क के अभाव में आवेदन पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा। शुल्क में छूट प्राप्ति हेतु जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा छूट देय नहीं होगी।

9. आरक्षण :- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं समाज के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या विद्यालय द्वारा अवधारित तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्राप्त अध्यापकों के अनुसार है तथा अन्य प्रकार के आरक्षण भूतपूर्व सैनिक, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित एवं विकलांग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चयन बोर्ड की नियमावली में सम्मिलित प्रावधान के अनुसार होगा। आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमन्य है।

अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश:

1. प्रशिक्षित स्नातक एवं प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या कोई महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी। जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। परन्तु राज्य सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।
2. कोई भी अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जब तक मानसिक शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिसमें उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो।
3. महिला अभ्यर्थी बालक एवं बालिका दोनों वर्गों के विद्यालयों के लिए पात्र हैं, परन्तु वांछित किसी एक वर्ग (बालक या बालिका) का उल्लेख आवेदन पत्र में यथास्थान करना आवश्यक होगा, किन्तु यह बात संगीत विषय के अध्यापक के लिए दृष्टिहीन पुरुष अभ्यर्थी पर लागू नहीं होगा।
4. आवेदन पत्र समस्त वांछित प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियों को संलग्न कर एक लिफाफे में प्रेषित किया जाय।
5. अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण, निर्धारित प्रारूप से भिन्न प्रारूप पर तथा अपठनीय आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा और उन्हें निरस्त कर दिया जायेगा।
6. विलम्ब से पहुँचने वाले आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिये जायेंगे। डाक द्वारा विलम्ब का उत्तरदायित्व चयन बोर्ड का नहीं होगा।
7. आवेदन पत्र में यथास्थान अपना नवीनतम फोटों अवश्य चिपकायें।
8. आवेदन पत्र केवल रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा जाए तथा लिफाफे पर पते वाले स्थान के ऊपर बायें कोने पर विज्ञापन संख्या, पद का नाम, विषय का नाम (कोड सहित) वर्ग संख्या तथा परीक्षा केन्द्र के स्थान का नाम स्पष्ट शब्दों में अवश्य लिखें।
9. केवल एक विषय एवं एक वर्ग के लिए केवल एक आवेदन पत्र मान्य होगा। अतः आवेदन पत्र एवं लिफाफे पर किसी एक विषय के ही प्रशिक्षित स्नातक या प्रवक्ता पद का उल्लेख होना चाहिए।
10. शैक्षिक अर्हता के लिए अंकपत्र, प्रमाण पत्र/स्थायी प्रमाण पत्र अन्तिम संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र दिये गये क्रमानुसार ही यथास्थान संलग्न किया जाए और उनपर संलग्नक संख्या भी अंकित की जाए।
11. आरक्षित अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के साथ शासनादेशानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत निर्धारित प्रारूप पर नवीनतम जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें अन्यथा आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा।
12. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को जो अन्य प्रान्त के मूल निवासी हैं आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
13. आवेदन पत्र के साथ प्रेषित किया जाने वाला बैंक ड्राफ्ट सही एवं पूर्ण होना चाहिए बैंक ड्राफ्ट के त्रुटिपूर्ण होने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
14. अभ्यर्थियों को पात्रता के सम्बन्ध में चयन बोर्ड कोई परामर्श नहीं देता है। अभ्यर्थी विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें। यदि पूर्णतः पात्र हो तभी आवेदन पत्र भरे अन्यथा नहीं। किसी भी अन्य दशा में आवेदन पत्र शुल्क न तो लौटाया जायेगा और न ही अगले विज्ञापन हेतु आरक्षित किया जायेगा।
15. आवेदन पत्र में कोई भी प्रविष्टि मात्र अंकित होने से स्वीकार नहीं की जायेगी, जब तक कि उसके लिए सही व निर्दिष्ट प्रमाण पत्र साथ में संलग्न न किया जाय।
16. आवेदन पत्र में अंकित प्रविष्टियों के समर्थन में समस्त प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
17. अभ्यर्थी भरे हुए आवेदन पत्र एवं बैंक ड्राफ्ट की फोटो प्रति अपने पास सुरक्षित रखें साथ ही आवेदन पत्र चयन बोर्ड कार्यालय प्रेषित करने के प्रमाण स्वरूप रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट की रसीद को मूलरूप में अपने पास सुरक्षित रखें। जिसे वे यथासमय चयन बोर्ड की मांग पर प्रस्तुत कर सकें।
18. प्रशिक्षित स्नातक एवं प्रवक्ता पद की परीक्षाएँ अलग-अलग तिथियों में सम्पन्न होगी। पात्र अभ्यर्थी दोनों पदों हेतु अलग-अलग आवेदन कर सकते हैं।
19. किसी भी विवाद की स्थिति सर्वप्रथम निस्तारण हेतु अभ्यर्थी को चयन बोर्ड को प्रत्यावेदन देना होगा।
20. उपर्युक्त विज्ञापित पदों के किसी विषय में अर्हता के संबन्ध में यदि कोई अभ्यर्थी जानकारी प्राप्त करना चाहे तो इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 में दी गई अर्हता या माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा समय समय पर जारी कैलेण्डर का अध्ययन कर सकता है, वही निर्धारित योग्यता विधिमान्य होगी।

सचिव/सदस्य

परिशिष्ट "क"
प्रशिक्षित स्नातक

प्रशिक्षित स्नातक बालक वर्ग 01							प्रशिक्षित स्नातक बालिका वर्ग 02				
क्र.सं./विषय कोड सं.	विषय	समा0	पि0जा0	अ0जा0	अ0ज0 जा0	योग	समा0	पि0जा0	अ0जा0	अ0ज0 जा0	योग
1	हिन्दी	394	213	229	2	838	34	17	20	0	71
2	संस्कृत	240	105	97	0	442	11	9	10	0	30
3	उर्दू	10	10	5	0	25	4	5	1	0	10
4	अंग्रेजी	338	210	222	2	772	29	22	25	0	76
5	विज्ञान	403	234	201	3	841	34	23	31	0	88
6	जीव विज्ञान	126	59	43	0	228	6	2	3	0	11
7	गणित	464	261	252	2	979	20	23	14	0	57
8	गृह विज्ञान	66	37	22	1	126	5	2	2	0	9
9	सामाजिक विज्ञान	314	197	208	1	720	30	31	25	0	86
10	कला	110	66	61	2	239	12	9	7	0	28
11	संगीत	4	2	2	0	8	8	6	4	0	18
12	संगीत (गायन)	0	0	0	0	0	3	1	1	0	5
13	संगीत (वादन)	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3
14	वाणिज्य	21	12	10	0	43	0	2	0	0	2
15	कृषि	30	22	10	0	62	0	0	0	0	0
16	शारीरिक शिक्षा	93	49	38	0	180	5	3	6	0	14
17	कताई बुनाई	2	1	1	0	4	0	0	0	0	0
18	सिलाई	0	3	2	0	5	0	5	3	0	8
	सम्पूर्ण योग	2615	1481	1403	13	5512	203	161	152	0	516
कुल पदों की संख्या – 6028											

परिशिष्ट "ख"
प्रवक्ता

वर्ग 01							वर्ग 02				
क्र.सं./विषय कोड सं.	विषय	समा0	पि0जा0	अ0जा0	अ0ज0 जा0	योग	समा0	पि0जा0	अ0जा0	अ0ज0 जा0	योग
1	भौतिक विज्ञान	33	25	10	0	68	4	0	1	0	5
2	रासायन विज्ञान	29	22	14	0	65	4	1	0	0	5
3	अंग्रेजी	43	31	23	0	97	5	3	5	0	13
4	हिन्दी	81	37	27	1	146	4	4	9	0	17
5	संस्कृत	56	29	25	0	110	6	2	3	0	11
6	जीव विज्ञान	21	15	10	0	46	1	3	0	0	4
7	वाणिज्य	8	6	4	0	18	0	0	0	0	0
8	गणित	20	10	9	1	40	2	0	1	0	3
9	इतिहास	18	14	10	0	42	4	2	4	0	10
10	नागरिक शास्त्र	24	12	10	0	46	5	3	4	0	12
11	अर्थशास्त्र	33	32	14	0	79	4	2	1	0	7
12	शिक्षा शास्त्र	4	7	9	0	20	2	1	0	0	3
13	मनोविज्ञान	2	5	2	0	9	0	1	0	0	1
14	कृषि	8	2	2	0	12	0	0	0	0	0
15	भूगोल	39	25	18	0	82	0	1	1	0	2
16	समाज शास्त्र	23	14	8	0	45	2	2	3	0	7
17	कला	6	10	10	0	26	2	2	4	0	8
18	उर्दू	1	1	1	0	3	0	0	0	0	0
19	वनस्पति विज्ञान	2	1	2	0	5	0	0	0	0	0
20	शारीरिक शिक्षा	4	2	3	0	9	0	0	0	0	0
21	संगीत	3	1	0	0	4	3	2	2	0	7
22	सैन्य विज्ञान	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0
23	तर्क शास्त्र	1	3	9	0	13	0	0	0	0	0
24	गृह विज्ञान	0	0	0	0	0	2	2	4	0	8
25	पाली	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0
	सम्पूर्ण योग	460	306	221	2	989	50	31	42	0	123
कुल पदों की संख्या – 1112											

12. शैक्षिक अर्हतायें स्वप्रमाणित अंकपत्र/प्रमाणपत्र संलग्न करें।

क्रम	परीक्षा का नाम	परीक्षा वाली संस्था का नाम बोर्ड/वि.वि.	वर्ष	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	संलग्नक संख्या
1	हाईस्कूल/समकक्ष							
2	इण्टर/समकक्ष							
3	स्नातक प्रथम वर्ष							
4	स्नातक द्वितीय वर्ष							
5	स्नातक तृतीय वर्ष							
6	स्नातकोत्तर							
7	अन्य							

13. प्रशिक्षण योग्यता स्वप्रमाणित अंकपत्र/प्रमाणपत्र संलग्न करें।

बी.एड., एल.टी., बी.एड., एस.सी., अथवा शिक्षा शास्त्री	श्रेणी सिद्धान्त	श्रेणी प्रयोगात्मक	संलग्नक संख्या
बी. एड.			
एम. एड.			

14. शोध उपाधि का विवरण स्वप्रमाणित अंकपत्र/प्रमाणपत्र संलग्न करें।

उपाधि का नाम	विषय	वि०वि० जहाँ से उपाधि प्राप्त हुई	वर्ष	संलग्नक संख्या

15. राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य/राष्ट्र की टीम के माध्यम के विवरण का स्पष्ट उल्लेख कर संलग्नक लगायें एवं () का निशान लगायें:-

प्रतियोगिता का स्तर	खेल का नाम	वर्ष	संलग्नक
राष्ट्रीय			
अन्तर्राष्ट्रीय			

घोषणा

(1) मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने विज्ञापित की गयी पात्रता की शर्तें सावधानीपूर्वक पढ़ा/पढ़ी हैं। वे मुझे मान्य हैं और मैं उन शर्तों को पूरा करता/करती हूँ। (2) मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिये सारे विवरण/सूचनाएं सत्य एवं सही हैं यदि कोई विवरण/सूचना असत्य या गलत पायी जाये या कोई तथ्य मेरे द्वारा छिपाया जाना पाया जाए तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाय। मैं सक्षम अधिकारी से किसी मुआवजा आदि का हकदार नहीं हूँगा/हूँगी। (3) मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे किसी न्यायालय/संस्था/विश्वविद्यालय शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा किसी अपराध के लिए दण्डित नहीं किया गया है।

दिनांक :

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर

स्थान :

यदि सेवा में हो तो सेवायोजक द्वारा अग्रसारण (अग्रसारण अधिकारी का नाम)

दिनांक

पद